उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-07/2017/एस-2-118/दस-2017-88क(4)/2015
लखनऊ :: दिनॉक:: 28 फरवरी, 2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है
1	2	3
1	श्री अखिलेश कुमार पाठक, संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन वाराणसी मण्डल, वाराणसी ।	मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी ।
2	श्री शीलेन्द्र कुमार वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, हाथरस।	वरिष्ठ कोषाधिकारी, हाथरस। (दि0 28-2-2017 को श्री प्रदीप भार्गव की सेवानिवृत्ति से रिक्त हो रहे पद पर)

2- संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-07/2017/एस-2-118(1)/दस-2017, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- जिलाधिकारी, वाराणसी/हाथरस ।
3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी/हाथरस।

6- संबंधित अधिकारीगण।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।